प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21-10-2020

02.228 किग्रा0 अवैध अफ़ीम के साथ तस्कर को पुलिस व SSB संयुक्त चेकिंग टीम ने दबोचा।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में कल दिनाँक 20-10-2020 को अपराह्न में श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ, के नेतृत्व मे उपनिरीक्षक श्री महेश सिंह, प्रभारी चौकी बढ़नी व ढेबरूआ पुलिस बल तथा एसएसबी0 व कस्टम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्रचलित त्यौहार दुर्गा पूजा/दशहरा के परिप्रेक्ष्य में एसएसबी0 चेक पोस्ट पर पुलिस और SSB की संयुक्त चेकिंग के दौरान एक तस्कर को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, जब वह नेपाल राष्ट्र से भारत में आते हुये चेकिंग टीम को चकमा देकर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस व एसएसबी0 की संयुक्त चेकिंग टीम की सतर्कता से उसे पकड़ लिया गया। जिसके उपरान्त तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 02.228 किग्रा0 नाजायज़ अफीम एवं दो अदद मोबाइल फोन बरामद हुआ। तस्कर के पास से बरामद अफ़ीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार मे तकरीबन एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये आंकलन किया गया। जिसके पश्चात् ढेबरुआ पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 282/2020 धारा 8/22/23 NDPS Act के अन्तर्गत आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-लाल बहादुर खत्री पुत्र गोमे खत्री वार्ड नं. 08, बाफ़ी कोट थाना-मगमा जिला रुकुम, नेपाल राष्ट्र उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

01-02.228 किलोग्राम अफ़ीम अनुमानित कीमत तकरीबन एक करोड़ ग्यारह लाख रुपये।

02-दो अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

01- निरीक्षक श्री सुनील कुमार, कस्टम टीम, बढ़नी ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

02- उपनिरीक्षक श्री महेश सिंह, प्रभारी चौकी बढ़नी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

03- सहा.उपनिरीक्षक श्री संजय कुमार, एसएसबी0 बढ़नी, ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

04- हे0का0 विजय यादव, चौकी बढ़नी, थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

05- हे.कां0, महेश कुमार त्रिपाठी, एसएसबी0 बढ़नी, ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

06- आरक्षी रमेश कुमार सिंह, चौकी बढ़नी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

07- कांस्टेबल मुलायम कुमार, चौकी बढ़नी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

08- आरक्षी अनुज कुमार, एसएसबी0 बढ़नी, ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

09- आरक्षी विक्रम बहादुर, एसएसबी0 बढ़नी, ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

10- आरक्षी राजनाथ वर्मा, एसएसबी0 बढ़नी, ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

11- का. आर. बी सिह, कस्टम टीम, बढ़नी, ढेबरुआ सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21-10-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा रिज़र्व पुलिस लाइन्स सिद्धार्थनगर में शहीद स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद पुलिस जवानों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

आज दिनांक 21-10-2020 को श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन में शहीद स्थल पर पुलिस स्मृति दिवस मनाया। शहीदों को पुष्प-चक्र अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया गया। महोदय द्वारा बताया कि 21-10-1959 को लद्दाख के हॉट-स्प्रिंग में देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति में तैनात भारतीय पुलिस के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला किया था, इस लड़ाई में 10 जवान शहीद हो गए थे, पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों का याद कर दिवंगत-आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया।

इस अवसर पर श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त क्षेत्राधिकारीगण व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21-10-2020

श्री अनिल कुमार राय, पुलिस महानिरीक्षक महोदय बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज दिनांक 21-10-2020 को पुलिस लाइन सभागार कक्ष में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक रेडियो शाखा एवं समस्त शाखा प्रभारीगण के साथ आगामी त्यौहारों के मद्देनजर की गई तैयारी के सम्बंध में एवं वर्तमान में चलाये जा रहे अभियान के सम्बन्ध में गोष्ठी की गयी, तैयारियो का जायजा लिया गया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

आज दिनांक-21-10-2020 को श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय बस्ती परिक्षेत्र बस्ती की अध्यक्षता में जनपद सिद्धार्थनगर के पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में समस्त क्षेत्राधिकारी एवं शाखा प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी एवं आगामी त्यौहारों के सम्बंध में गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा महिलाओं से सम्बंधित अपराधों के रोकथाम हेतु त्वरित कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया गया।

पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती महोदय ने उ0प्र0 द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहारों के सम्बन्ध में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जारी गाइड लाइन्स के क्रम में पुलिस व्यवस्था आदि को लेकर दिये दिशा निर्देश।

महोदय द्वारा माह अक्टूबर से माह दिसम्बर-2020 तक आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहार तथा नवरात्रि ,दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दिपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, आदि के अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार एवं शासन द्वारा निर्गत गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये उक्त के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये गयेः-

01- कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्यौहार विषयक गतिवधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स के आने जाने की अनुमति भी नहीं होगी।

02- प्रत्येक गतिविधियों के संचालन में (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, आदि) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित कमेटियों/संगठन/ व्यक्तियों के साथ बैठक कर तैयार कर ली जाय।

03- शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैन पावर (मानव शक्ति)तैनात किये जाय तथा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व उ0प्र0शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

04- कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ आदि हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा फेस कवर्स, मास्क,हैण्ड सेनेटाइजर,साबुन,सोडियम हाइपोक्लोराइड्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

05- थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाय।

06- शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन की निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (सीसीटीवी)स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय।

गोष्ठी के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलम्बन के लिए ''मिशन शक्ति'' का शिक्षण संस्थानों सहित अन्य महिलाओं से सम्बन्धित स्थलों पर जाकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए मनचलों एवं शोहदों के विरूद्ध कार्यवाही एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु दिये गये कड़े निर्देश।

प्रेस नोट दिनाँक 21.10.2020

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी,सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनाँक 21.10.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्र0नि0 थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर को जरिए मुखबीर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध चाकू लेकर नमकीन फैक्ट्री कल्यानपुर बर्डपुर नं0 13 लिंक मार्ग से आने वाला है। यदि जल्दी किया जाय तो अभियुक्त मय अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। उक्त सूचना पर प्रभारी चौकी नौगढ मय हमराही द्वारा मौके पर पहुँचकर बताये गये व्यक्ति को नियमानुसार रोककर नाम, पता, पूछा गया तो अपना नाम अब्दुल कयूम उर्फ चौधरी पुत्र अब्दुल वहाब निवासी ग्राम भदवल बर्डपुर नं0 13 थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर बताया व जामातलाशी ली गयी तो एक अदद अवैध चाकू बरामद हुआ। कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी / बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-304/2020 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट - जनपद सिद्धार्थनगर

मिशन शक्ति – नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन

आज दिनांक 21.10.2020 को माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध मे सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी अभियान के तहत, श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों में महिला हेल्पडेस्क के तत्वाधान में थाने के समस्त अधिकारी/ कर्मचारीगण एवं थाना क्षेत्र के सम्भ्रान्त एवं प्रतिष्ठित महिलाओं एवं छात्राओं के उपस्थिति में मिशन शक्ति के तहत आदेश-निर्देशों के सम्बन्ध में सेमिनार / सम्मेलन किया गया। जिसमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाईन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाईन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। नारी शक्ति एवं नारी सुरक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। समाज के नारी वर्ग को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने हेतु जागरूक करते हुए बताया गया कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान एवं सेवाओ का प्रयोग कर समाज को स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जा सकता है।

प्रेस नोट दिनांक 21-10-2020

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर सि0नगर व श्री राधेश्याम राय प्रभारी निरीक्षक मोहाना के कुशल निर्देशन में DG महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान अवैध शस्त्रधारी अभियुक्त अतिकुर्रहमान उर्फ बगेदू पुत्र मोहर अली सा0 वर्डपुर नं0 02 टोला बनकसिहा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये मोहाना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-229/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का विवरण

01. अतिकुर्रहमान उर्फ बगेदू पुत्र मोहर अली निवासी वर्डपुर नं0 02 टोला बनकसिहा थाना मोहाना

बरामदगी

एक अदद कट्टा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01.उ0नि0 हरिन्द्र पाठक

02.उ0नि0 अशोक कुमार दूबे

03.हे0का0 शेषनाथ यादव

04.का0 राकेश यादव

05.का0 सुदामा यादव